

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

नीवासीय अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर.प.एस

क्रमांक सीडर/2018/ 1520

दिनांक - 18.7.2018

प्रार्थीनी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 सतवाई पत्नी दिलबर जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।


1 ईशाक 2 इशान 3 अजवर 4 जमाल पिसरान गीरा 5 मोहम्मद पुत्र सोढा 6 रहीम पत्नी दलाखा 7 मौजा पुत्र माजी 8 हयात पुत्र कंदाखा 9 कंदाखा पुत्र सोढाखा जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :-440/2018

दिनांक-18.07.2018

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा सोढाणी मुसलमानों की ढाणी पटवार क्षेत्र बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 705/413 रकबा 15.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीनी द्वारा गौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक-18.7.2018

क्रमांक :- सीडर/2018/ 1521-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बान्दरा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. सतवाई पत्नी दिलबर जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी ईशाक पुत्र गीरा वगैराह जाति मुसलमान निवासी सोढाणी मुसलमानों की ढाणी बान्दरा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर